



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1303) पटना, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त 2025

सं० 05/स्था0 (DTO)—30/2018 (छाया संचिका) 6217—जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अनुशंसा के आलोक में श्री बृज किशोर पाण्डेय, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), सीतामढ़ी को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री बृज किशोर पाण्डेय को जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानंद रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1303-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>